कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/उत्सव/22432/2017–19/196 दिनांकः 05 .04.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय :– माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर करने के क्रम में।

प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक : 15.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के द्वारा शिक्षा विभाग में बालकों के शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु माह के प्रत्येक शनिवार को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुए बाल सभाओं का नियमित रूप से आयोजन करने बाबत् निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में लेख है कि राजस्थान पत्रिका, बीकानेर संस्करण के दिनांक : 02.04.2019 को प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकारी विद्यालयों की बाल सभा में विद्यार्थी नहीं पहुँच पा रहे हैं। अतः आप अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को अधिकाधिक संख्या में बाल सभाओं में विद्यार्थियों को पहुँचने के लिए प्रेरित करने हेतु पाबन्द करें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ (कार्यालय हाजा), को प्रेषित कर लेख है कि आज दिनांक तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E:\Genral letter.docx